आदेश की क्रमांक तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3
	उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।	
	अधिहरण वाद सं0 06/2016–17	
	राज्य सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज –बनाम– शशिकान्त पंडित एवं अन्य	
	–: आदेश :–	
07.5.2017	यह वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 2868/अप0शा0, दिनांक 09.12.2016 के द्वारा बरहेट थाना कांड संख्या 14/2016 दिनांक 09.02.2016 धारा–414 भा0द0वि0 में जप्त वाहन एवं कोयला को राज्यसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारम्भ किया गया। यह मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– थाना प्रभारी, बरहेट द्वारा अनुरोध किया है कि उक्त थाना कांड के वादी ब्रहम्देव चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी के स्वलिखित ब्यान के आधार पर चोरी का अवैध कोयला ट्रेक्टर गाड़ी पर लादकर ले जाने के क्रम में पकड़ा गया है। कोयला को जप्त करते हुए थाना कांड संख्या 14/2016 दिनांक 09.02.2016 दर्ज किया गया है। कांड का अनुसंधान, पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन ।। से इस कांड में जप्त ट्रेक्टर नं0 जे0एच0 17बी/7911 एवं ट्रॉली नं0 जे0एच0 17बी/7912 का वर्तमान मालिक शशिकान्त पंडित, पिता–स्व0 गोबिन्द पंडित एवं ट्रेक्टर चालक कृष्णा पंडित, पिता–स्व0 गोपाल पंडित दोनों सा0–कुसमा, थाना–बरहेट, जिला–साहेबगंज के विरूद्ध सत्य पाया गया, जिसमें दोनों प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वादी के शिकायत आवेदन में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 09.02.2016 को समय 06:10 बजे सुबह वादी के साथ सहायक अवर निरीक्षक सीताराम सिंह, सहायक अवर निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह, हवलदार राम कृपाल सिंह, पुलिस 1474 रामेश्वर सोरेन एवं पुलिस बल के साथ अवैध लकड़ी एवं कोयला की छापामारी हेतु थाना से प्रस्थान किये। जैसे ही ग्राम कुसमा पहुँचे तो गुप्त सूचना मिली कि राजापानी गाँव की तरफ से ट्रेक्टर के ट्रॉली में अवैध कोयला लदा हुआ कुसमा गाँव की ओर आ रही है। इस सूचना का सत्यापन हेतु छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ ग्राम कुसमा से राजापानी गाँव की ओर प्रस्थान किये। समय करीब 8:00 बजे पूर्वाहन् राजापानी गाँव के सरकारी विद्यालय के पास पहुँचा तो देखा कि एक बिना नंबर का ट्रेक्टर पर अवैध कोयला लदा हुआ आ रहा है। पुलिस बल को देखते ही ट्रेक्टर चालक एवं ट्रेक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ट्रेक्टर को छोड़ कर भागने लगे। उसे खदेड़ कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति भागने में सफल हो गये। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम शशिकान्त पंडित, पिता–स्व0 गोबिन्द पंडित, सा0–कुसमा दर्जी टोला एवं भागे हुए व्यक्ति ट्रक्टर चालक कृष्णा पंडित, पिता–स्व0 गोपाल पंडित, सा0. कुसमा तथा ट्रक्टर मालिक हरिनन्दर ठाकुर, पिता–स्व0 साधु ठाकुर, सा0–कुसमा, सभी थाना–बरहेट। पकड़ाये हुए व्यक्ति से ट्रेक्टर का कागजात तथा ड्राईविंग लाईसेन्स की माँग किया गया तो किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किये। ततपश्चात उक्त ट्रेक्टर पर लदा 18 (अठारह) क्वींटल अवैध कोयला को विधिवत जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया। अवैध कोयला का कारोबार करने के आरोप में अभियुक्त कोयला मालिक शशिकान्त पंडित, ट्रेक्टर चालक कृष्णा पंडित एवं ट्रेक्टर मालिक हरिनन्दन ठाकुर के विरूद्ध धारा–414 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आगे की कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया। पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विपक्षीगण अभियुक्तो को	

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	आवश्यक वस्तु अधिनियम कर धारा–6(ए) के तहत नोटिस कारण पुच्छा हेतु निर्गत किया गया साथ ही जप्त कोयला को क्षति होने से रोकने हेतु नियमानुसार विक्री कर विक्री राशि जिला नजारत शाखा, साहेबगंज में जमा करने का आदेश प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरहेट को दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 196/डी0वी0, दिनांक 30.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नाजीर रसीद संख्या 1311088 दिनांक 29.01.2019 के द्वारा जिला आपूर्ति नजारत शाखा, साहेबगंज में जप्त कोयला की विक्री राशि कुल 4050.00 (चार हजार पचास) रूपये जमा कर दिया गया है। सुनवाई के क्रम में विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि जप्त सामग्री से विपक्षीगण को कोई लेना–देना नहीं है और न ही इसका दावा करते है। विपक्षीगण को इस वाद से मुक्त करते हुए वाद कार्यवाही वन्द किया जाय। सरकार की ओर से लोक अभियोजक को सुना। उनका कथन है कि यदि विपक्षीगण जप्त सामग्री का दावा नहीं करते हैं, तो जप्त सामग्री को अधिहरित(राज्यसात) करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। उपरोक्त स्थिति में बरहेट थाना कांड संख्या 14/2016 दिनांक 09.02.2016 में जप्त 18 (अठारह) क्वींटल अवैध कोयला को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के अन्तर्गत अधिहरित (राज्यसात) किया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि नाजीर रसीद संख्या 1311088 दिनांक 29.01.2019 द्वारा जमा जप्त कोयला की विकी राशि 4050.00 (चार हजार पचास) रूपये उचित शीर्ष में जमा करावेंगे। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेंजे। लेखापित एवं संशोधित। Sd/- 07/05/19 उपायुक्त, साहेबगंज। Sd/- 07/05/19 उपायुक्त, साहेबगंज।

गोपनीय शाखा, साहेबगंज — DEC 2016

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.08.25 13:33:57 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner